प्ररूप–11

(नियम 7 (1)देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (नगरपालिका) नाथद्वारा

जिला–राजसमन्द (राज०)

कमांक / न.पा.नाथ. / 2023 / 90ए / 20780 दिनांक :02/03/2023

मामला सं0 वर्ष 2017–18

1. श्री सोहन लाल पिता श्री उदयलाल लौहार निवासी 64, सिंहाड़ हनुमानजी के पास, नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द (राज0)

.... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक ....

मामलें के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का ***आवासीय प्रयोजन*** के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैं:–

क0 स0	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी न0	कुल क्षेत्रफल (बीघा में)
1	नाथद्वारा, जिला राजसमन्द	नाथद्वारा	3707 / 1667	कुल किता 01 कुल रकबा 00–03–00

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रामणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व ख़सरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधकपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टरप्लान योजना / विकास योजना / स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का ***आवासीय प्रयोजन*** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. उक्त आदेश कार्यालय तहसीलदार, नाथद्वारा जिला–राजसमन्द के पत्रांक / राजस्व / 2019 / 1464 दिनांक 25.11.2019 के अनुसार भूमि नदी–नाले, अन्य बहाव अथवा डूब क्षेत्र में नहीं होने से उक्त प्रकरण अनुज्ञेय होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया जा रहा हैं।

प्ररूप–11

(नियम 7 (1)देखिए)

5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं0 3707/1667 रकबा 00–03–00 बीघा राजस्व ग्राम **नाथद्वारा** तहसील **नाथद्वारा** में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय प्रयोजन** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
8. स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकःभूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2022/ दिनांक 01 दिसम्बर 2022 के अध्ययधीन उक्त संपरिवर्तन की स्वीकृति दी जाती हैं।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया गया।

2/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

कमांकः– 20781–20784 **दिनांक** 02/03/2023

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण .....
2. तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 07 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री सोहन लाल पिता श्री उदयलाल लौहार निवासी 64, सिंहाड़ हनुमानजी के पास, नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द
4. सुरक्षित पत्रावली।

2/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

प्ररूप–11
(नियम 7 (1)देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (नगरपालिका) नाथद्वारा

जिला–राजसमन्द (राज0)

कमांक/न.पा.नाथ./2023/90ए/20785 दिनांक 02/03/2023

मामला सं0 वर्ष 2017/18

1. श्री खमानाराम पिता श्री गलाराम बलाई निवासी गोवल, तहसील कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज0)।

..... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक .....

मामलें के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का ***आवासीय प्रयोजन*** के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैं:–

क0 स0	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी न0	कुल क्षैत्रफल (बीघा में)
1	नाथद्वारा, जिला राजसमन्द	उपली ओडन	1802	00–06–10

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रामणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधकपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टरप्लान योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का ***आवासीय प्रयोजन*** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

2/3/2023

प्ररूप–11

(नियम 7 (1)देखिए)

4. उक्त आदेश कार्यालय तहसीलदार, नाथद्वारा जिला–राजसमन्द के पत्रांक/राजस्व/90क/2018/71 दिनांक 10.01.2018 के अनुसार भूमि नदी–नाले, अन्य बहाव अथवा डूब क्षेत्र में नहीं होने से उक्त प्रकरण अनुज्ञेय होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया जा रहा हैं।
5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं0 1802 रकबा 00–06–10 बीघा राजस्व ग्राम **उपली ओडन** तहसील **कुम्भलगढ़** में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय प्रयोजन** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि ,के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
8. स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकःभूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2022/ दिनांक 01 दिसम्बर 2022 के अध्ययधीन उक्त संपरिवर्तन की स्वीकृति दी जाती हैं।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को पारित किया गया।

2/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

कमांकः– 20786 - 20789 दिनांकः 02/03/2023

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण ....
2. तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 07 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री खमानाराम पिता श्री गलाराम बलाई निवासी गोवल तहसील कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज0)।
4. सुरक्षित पत्रावली।

2/3/2023.

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

प्ररूप–11
(नियम 7 (1)देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (नगरपालिका) नाथद्वारा

जिला–राजसमन्द (राज0)

कमांक/न.पा.नाथ./2023/90ए/20790 दिनांक 02/03/2023

मामला सं0 वर्ष 2022–23

1. श्री कुन्दनमल पिता श्री केशरीमल धाकड, श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री कुन्दनमल धाकड निवासी शिशोदा कला हाल मुकाम मुम्बई (महाराष्ट्र) एवं मैसर्स सनराईज होटल्स एण्ड रिसोर्टस जरिये भागीदार हेमन्त श्रीमाली पुत्र श्री सत्यनारायण श्रीमाली निवासी, कुंवारिया, जिला–राजसमन्द (राज0)

..... आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक .....

मामलें के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :–

1. उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का ***आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन*** के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैं:–

क0 स0	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी न0	कुल क्षैत्रफल (बीघा में)
1	नाथद्वारा, जिला राजसमन्द	भलावतों का खेड़ा	259, 260, 261, 262	1.7958 हैक्टर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रामणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधकपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टरप्लान योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का ***आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन*** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

2/3/2023

प्ररूप–11

(नियम 7 (1)देखिए)

4. उक्त आदेश कार्यालय तहसीलदार, नाथद्वारा जिला–राजसमन्द के पत्रांक/686 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार भूमि नदी–नाले, अन्य बहाव अथवा डूब क्षेत्र में नहीं होने से उक्त प्रकरण अनुज्ञेय होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया जा रहा हैं।
5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं0 259, 260, 261, 262 रकबा 1.7958 हैक्टर राजस्व ग्राम **भलावतों का खेड़ा** तहसील **नाथद्वारा** में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का ***आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन*** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
8. स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांकःभूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2022/ दिनांक 01 दिसम्बर 2022 के अध्ययधीन उक्त संपरिवर्तन की स्वीकृति दी जाती हैं।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया गया।

2/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

क्रमांकः– 20791 – 20794 **दिनांक** 02/03/2023

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण .....
2. तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 07 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री कुन्दनमल पिता श्री केशरीमल धाकड, श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री कुन्दनमल धाकड निवासी शिशोदा कला हाल मुकाम मुम्बई (महाराष्ट्र) एवं मैसर्स सनराईज होटल्स एण्ड रिसोर्टस जरिये भागीदार हेमन्त श्रीमाली पुत्र श्री सत्यनारायण श्रीमाली निवासी, कुंवारिया, जिला–राजसमन्द (राज0)
4. सुरक्षित पत्रावली।

2/3/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा